न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 55/2023

प्रार्थी

1 नरपतराज पुत्र घीसूलाल जाति घांची निवासी— जोधपुरिया गेट के बाहर, सोजत सिटी, तहसील— सोजत, जिला— पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 04/10/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 6386/587, 6387/587, 6388/587, 6384/587 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर की स्थित है। जिसमें राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी का सम्पूर्ण हक हिस्सा आता है। उपरौक्त वर्णित खसराजात की कृषि भूमि की सीमाओं निश्चित नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ तारबंदी कर फसल की सुरक्षा नही कर पा रहा है। आवारा पशुओं द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में लगी हुई फसलों को नष्ट कर देते है। इस हेतु प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमांज्ञान करने व पत्थरगढी करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2023 को अप्रार्थी तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार सोजत द्वारा यह कहते हुए इंकार कर दिया कि कृषि भूमि के पत्थरगढी किए जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी सोजत से आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जा सकी है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की सुरक्षा करने हेतु तारबंदी करवाना चाहते है, जिसके लिए सीमांकन व पत्थर गढी किया जाना अतिआवश्यक है, ताकि मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। प्रार्थी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की तारबंदी करवा कर अपनी फसलों की आवारा पशुओं व पडौसी खातेदारों से सुरक्षित करवाना चाहता है। जिसका प्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी अपने पडौसी खातेदार को मौके पर पुनः सीमांकन करवा कर पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया, परंतु पड़ौसी खातेदार ने वादस्थ भूमि का किसी प्रकार से सीमांकन व पत्थर गढी करवाने से साफ मना कर दिया। यदि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर सीमांकन नहीं किया गया तो प्रार्थी व उसके सहखातेदारों को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसको मूल्यांकन रूपयों पैसों से नहीं आंका जा सका। पड़ौसी खातेदार बदमाश, हिंसक व आपराधिक प्रकृति के हैं। पड़ौसी खातेदारान ने प्रार्थी को यह धमकी दी कि यह माठै ऐसे ही रहेगी, तुम्हारे जो करना है, वह कर ले, मौके पर किसी पटवारी को नहीं आने दूंगा, इसलिए विवादित खसरा नंबर 6386/587, 6387/587, 6388/587, 6384/587 की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थर गढी व सीमांकन किया जाना कानून एवं न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के विवादित खसरा नम्बर 6386/587, 6387/587, 6388/587, 6384/587 का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगवाए जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पैरा संख्या 01 मे वर्णित भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में है, पैरा संख्या 02 में वर्णित तथ्यो को प्रार्थी स्वयं साक्ष्य सबुत से पेश करे, पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य वादी स्वयं साबित करे तथा पैरा संख्या 4 लगायत 6 कानूनी होना बताया है।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 6386/587, 6387/587, 6388/587, 6384/587 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर भूमि का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थर गड्डी के जरिए मुटाम लगवाऐ जाने है। चूकि माठो कोलेकर मौके पर विवाद है। बहस के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने व्यक्त किया कि प्रार्थी भूमि का यदि सीमांकन किया जाकर जरिए पत्थरगढी मुटाम कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाने तो कोई आपति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी एकल खातेदार है। खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 6386/587, 6387/587, 6388/587, 6384/587 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि मौजा सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 6386/587, 6387/587, 6388/587, 6384/587 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके तहसीलदार, सोजत को स्वयं के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक व संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके सिमांकन कर पत्थरगढी के जरिये मुटाम लगवाये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 04/10/2023 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली